

प्रेस विज्ञप्ति

जिला न्यायालय परिसर सहारनपुर में अधिवक्तागण श्री घनश्याम सिंह चैम्बर आदि के चैम्बर संख्या-233, 235, 232 तथा 230 से लगे एक सूखे पेड़ की सार्वजनिक नीलामी की कार्यवाही दिनांक 02.06.2026 समय सांय 04:30 बजे न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर. भवन में की जायेगी । इच्छुक बोलीदाता नीलामी के नियम व शर्तें, स्थान तथा बोली के समय आदि के सम्बन्ध में नज़ारत अनुभाग, सहारनपुर से कार्यालय समय पर तथा न्यायालय के सूचना पट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

(मौ० अहमद खान)

अध्यक्ष / नीलाम समिति /

अपर जिला जज / विशेष न्यायाधीश

(एस.सी./एस.टी.एक्ट),

सहारनपुर ।

नियम व शर्तें

- 1- नीलाम किये जाने वाले पेड़ का अवलोकन इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक कर सकते हैं।
- 2- विभाग का कोई कर्मचारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नीलामी पेड़ को क्रय करने में भाग नहीं लेगा।
- 3- प्रत्येक बोलीदाता को अपना पहचान-पत्र फोटोयुक्त नीलामी से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
- 4- किसी भी उच्चतम बोली / अप्र्याप्त बोली / प्र्याप्त संख्या में बोली लगाने वालों के न होने के कारण बिना कारण बताये ठेका निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया के पास सुरक्षित है।
- 5- बोली स्वीकृत होने के उपरान्त बोली की सम्पूर्ण धनराशि नीलाम समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर एकमुश्त जमा करानी होगी। एक मुश्त धनराशि जमा न कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रतिभू धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
- 6- नीलामी लेने वाला व्यक्ति किसी भी दशा में नीलामी धनराशि वापस प्राप्त नहीं कर सकेगा।
- 7- नीलामी बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने के लिए कम से कम अंकन 2,000 /-(दो हजार) रुपये की नगद धरोहर राशि (जमानत धनराशि) उसी दिन प्रातः जमा करानी होगी। अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति की धरोहर राशि छोड़कर शेष बोली बोलने वालों की धरोहर राशि नीलामी के पश्चात उसी दिन वापस कर दी जायेगी।
- 8- ठेकेदार की किसी गलती के कारण ठेका निरस्त होने की स्थिति में राज्य सरकार को होने वाली राजस्व की क्षतिपूर्ति सम्बन्धित ठेकेदार को करनी होगी।
- 9- ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये ठेका समाप्त कर सकते हैं और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि अनुबन्धित ठेकेदार से वसूल कर सकते हैं।
- 10- अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा लगाये जाने वाली बोली की धनराशि को माननीय जनपद न्यायाधीश सहारनपुर द्वारा अनुमोदित करायी जायेगी।
- 11- ठेकेदार को यदि किसी प्रकार का कोई टैक्स या बिल या आयकर आदि-यदि देय होता है तो वह ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा।
- 12- ठेकेदार द्वारा नीलामी के पेड़ को काटते समय यदि कोई सामान क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- 13- जिन बोलीदाता का ठेका स्वीकार किया जायेगा, उस बोलीदाता की अग्रिम धनराशि को प्रतिभू के रूप में जमा रखा जायेगा। ठेके की नियम एवं शर्तों का उल्लंघन अथवा अन्य किसी भी तरह का नुकसान करने पर प्रतिभू धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
- 14- ठेकेदार द्वारा उसके पक्ष में नीलामी छूटने के बाद नीलाम किये गये सामान को उठाने का खर्च स्वयं ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।
- 15- ठेकेदार इस आशय का भी शपथ-पत्र देगा कि वह पूर्व में डिफाल्टर नहीं है।

(संजीव कुमार शर्मा)
सदस्य नीलामी समिति/
कोर्ट मैनेजर
सहारनपुर।

(प्रबोध कुमार वर्मा)
सदस्य नीलामी समिति/
अपर जिला जज/त्वरित न्यायालय-II
सहारनपुर।(अवकाश पर)

(संजय कुमार)
सदस्य नीलामी समिति /
अपर जिला जज कक्ष सं0-10
सहारनपुर।

(मौ0 अहमद खान)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश
(एस.सी/एस.टी.एक्ट) सहारनपुर।

Approved
DISTT. JUDGE
SAHARANPUR
25/05/26

कार्यवृत्त नीलामी

जिला न्यायालय परिसर सहारनपुर में अधिवक्तागण श्री घनश्याम सिंह आदि के चैम्बर संख्या-233, 235, 232 तथा 230 से लगे एक सूखे पेड़ की नीलामी के सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के सम्मानित आदेश दिनांकित 20.05.2026 के अनुपालन में आज दिनांक 23.05.2026 को सांय 04:30 बजे मेरे विश्राम कक्ष में नीलाम समिति की बैठक हुई। बैठक में श्री संजय कुमार, सदस्य नीलामी समिति/ अपर जिला जज कक्ष संख्या-10 सहारनपुर तथा श्री संजीव कुमार शर्मा, सदस्य नीलामी समिति / कोर्ट मैनेजर सहारनपुर उपस्थित आये। श्री प्रबोध कुमार वर्मा, सदस्य नीलामी समिति/ अपर जिला जज / त्वरित न्यायालय-II अवकाश पर होने के कारण उपस्थित नहीं आये।

बैठक में सर्वप्रथम उपरोक्त पेड़ की नीलामी के सम्बन्ध में नियम व शर्तों पर विचार किया गया तथा नियम व शर्तें निर्धारित की गयी। केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया गया कि वह उक्त सम्बन्ध में नियमों व शर्तों का माननीय जनपद न्यायाधीश से अनुमोदन कराने के उपरान्त इनके प्रचार-प्रसार हेतु न्यायपीठ के नोटिस बोर्ड व कलेक्ट्रेट में स्थित नोटिस बोर्ड तथा अन्य दृश्यमान स्थानों पर चस्पा कराये तथा भिन्न-भिन्न तिथियों पर विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशन कराये एवं जिला न्यायालय सहारनपुर के पोर्टल तथा माननीय उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर भी अपलोड कराये।

नीलामी की अग्रिम तिथि ए0डी0आर0 भवन में दिनांक 02.06.2026 नियत की जाती है।

(संजीव कुमार शर्मा)
सदस्य नीलामी समिति/
कोर्ट मैनेजर
सहारनपुर।

(प्रबोध कुमार वर्मा)
सदस्य नीलामी समिति/
अपर जिला जज/त्वरित न्यायालय-II
सहारनपुर। (अवकाश पर)

(संजय कुमार)
सदस्य नीलामी समिति /
अपर जिला जज कक्ष सं0-10
सहारनपुर।

(मौ0 अहमद खान)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश
(एस.सी/एस.टी.एक्ट) सहारनपुर।

DIST. JUDGE
SAHARANPUR